

सेवा में

श्रीमान निदेशक / जनसूचना अधिकारी  
राष्ट्रीय शक्ति संस्था कल्याणपुर  
कानपुर

विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना  
दिलाए जाने के सम्बन्ध में

महोदय

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी राजीव द्वे श्री ध्यानचन्द्र द्वे  
ग्राम-गोपीनाथपुर पोस्ट-बहुआ जनपद सुल्तानपुर का रथाई निवासी  
है। प्रार्थी के गांव के अच्चे लाल सुत सुर्खियादव जो कि राष्ट्रीय शक्ति  
संस्था कल्याणपुर कानपुर में 7/02/1990 से फर्जी एवं कूट रचित  
दस्तावेज दाखिल करके नौकरी प्राप्त किया है के सम्बन्ध में प्रार्थी  
को निम्न बिन्दुओं पर सूचना दिलाए जाने की कृपा करें

- 1- राष्ट्रीय शक्ति संस्था कल्याणपुर कानपुर में अच्चे लाल मजदूर के  
विरुद्ध किस तिथि से जाँच प्रारम्भ हुई है एवं किस अधिकारी द्वारा  
जाँच की गयी है एवं विद्यालय की जाँच किस तिथि को किया गया  
एवं किस अधिकारी की उपस्थिति में जाँच सम्पन्न किया गया  
विभागीय जाँच में की गई विभागीय कार्यवाही से अवगत  
कराने का कूट करै
- 2- किसी कर्मचारी के विरुद्ध जाँच को कितने समय में पूरा  
करने का नियम होता है।
- 3- जाँच में कर्मचारी के विरुद्ध विभाग द्वारा आरोप पत्र देने के  
बाद कितने दिनों में कार्यवाही की जाती है
- 4- अच्चे लाल मजदूर के विरुद्ध जाँच किस तिथि तक पूरी हो  
जायेगी
- 5- अच्चे लाल मजदूर को निशुक्ति के समय उसके दस्तावेजों  
की जाँच करायी गयी थी कि नहीं यदि हाँ तो जाँच रिपोर्ट  
की प्रमाणित द्वा प्रतिलिपि सापी दिलाए जाने की कृपा करें


*admission  
may pl. receive the  
PO @ 10/- and issue  
the receipt.*  
13.4.17

*S. Rajeev  
auth. l.e.p.*

अस्तु आप से आग्रह है कि उक्त सूचनाएं  
प्रार्थी को अविलम्ब दिलाए जाने की कृपा करें

सूचना प्राप्त करने के लिए  
आवश्यक पोस्टल आर्डर  
2406580964 रेखांकित  
RS-20

प्रार्थी  
Rajeev Dwivedy  
राजीव द्वे श्री ध्यानचन्द्र द्वे  
ग्राम-गोपीनाथपुर  
पोस्ट-बहुआ उत्तरी  
जनपद-सुल्तानपुर  
9838275715



2017  
9/04/17

Deposited Rs-20/- vide T-B No 293508

dt. 17.4.2017

*(Signature)*

2/2/2017



सं.- 25(52)/2016/RTI/9

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

आई.एस.ओ. 9001:2015 प्रमाणित संस्थान  
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग  
भारत सरकार

फोन- 2570541, 542  
फैक्स- 0512-2570247

कानपुर, दिनांक- 21.4.2017

सेवामें,

श्री राजीव दुबे सुत श्री ध्यानचंद्र दुबे,  
निवासी ग्राम- गोपीनाथपुर,  
पो.आ.- बरूआ उत्तरी,  
जनपद- सुल्तानपुर (उ.प्र.)

जारी  
संख्या - 645  
दिनांक - 21/4/2017

विषय- जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री राजीव दुबे द्वारा मांगी गयी सूचना के संबंध में।  
महोदय,

आपके द्वारा प्राप्त पत्र (दिनांक 11.4.2017) के संदर्भ में, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आपके पत्र दिनांक 07.04.2017 के द्वारा मांगी गई सूचना बिंदुवार निम्नवत है-

1. आपके द्वारा पूछे गये प्रश्न बिंदु 1 के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि संस्थान द्वारा दिनांक 23-11-2013 को प्राथमिक जांच के आदेश दिए गए। तत्पश्चात विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं तथा आख्याओं के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा CCS (CCA) केंद्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के अंतर्गत उन्हे आरोप पत्र दिनांक 18-12-2015 को जारी किया गया।
2. आपके द्वारा पूछे गये प्रश्न बिंदु 2 के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि जांच कर रहे सक्षम अधिकारी का यह कर्तव्य नहीं होता कि ऐसी जानकारी प्राप्त करे जिससे कि निष्कर्ष एवं अनुमान निकालने की धारणा बनाने की अथवा सूचना की विवेचना करने की अथवा काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता होगी। आपके द्वारा चाहे गये मुद्दों पर जानकारी दूसरी जांच एजेंसियों से प्राप्त होने वाली आख्याओं पर निर्भर रही है। अतः मांगी गई सूचना कार्यालय अभिलेखों में Exist नहीं करती है।
3. आपके द्वारा पूछे गये प्रश्न बिंदु 3, 4 एवं 5 के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध जांच की समय सीमा का निर्धारण जांच कर रही समिति द्वारा तय नहीं किया जाता है जांच अन्य चीजों के अलावा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस (प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत) पर आधारित रहता है, साधारणतयः जांच अधिकारी को नियुक्ति के आदेश प्राप्ति के 06 माह के अंदर रिपोर्ट देनी होती है एवं समय सीमा विलम्ब की स्थिति में वह अनुशासनिक अधिकारी को कारण बताना होता है।
4. इसी प्रकार बिंदु 6 के संदर्भ में यह सूचित किया जा रहा है कि अच्छेलाल की नियुक्ति के समय उनके दस्तावेजों की जांच कार्यालय अभिलेखों के अनुसार नहीं की गई थी एवं इसका कारण कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप उपरोक्त दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में आप इस पत्र के जारी करने से 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपील कर सकते हैं-

श्री नरेन्द्र मोहन,

निदेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, भारत सरकार,

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कानपुर- 208017

भवदीय

  
26/4/17

(जितेंद्र सिंह)

स. आ. श. प्रौ.,

वरि. प्रशा. अधिकारी एवं  
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी

  
25/4/17